पंचायत निगरानी संख्या : 47/2023
उनवान : भंवरसिंह बनाम भरतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 47/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/10

प्रार्थी :–

भंवरसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मालारी तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भरतसिंह पुत्र श्री जयरुपसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मालारी, तहसील बाली जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत शिवतलाव, पंचायत समिति बाली जिला पाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत शिवतलाव का प्रस्ताव संख्या 2(2) दिनांक 10.09.2009 मिसल संख्या 51/2001–02 विक्रय विलेख पट्टा संख्या 36 बुक संख्या 34 जारी दिनांक 24.09.2009 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कमल श्रीमाली।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 29.05.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत शिवतलाव का प्रस्ताव संख्या 2(2) दिनांक 10.09.2009 मिसल संख्या 51/2001–02 विक्रय विलेख पट्टा संख्या 36 बुक संख्या 34 जारी दिनांक 24.09.2009 को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई।** निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मालारी ग्राम पंचायत शिवतलाव पंचायत समिति बाली जिला पाली की आबादी भूमि में प्रार्थी के पिता सरदारसिंह पुत्र श्री मेगाजी, जाति पुरोहित साकिन मालारी के नाम दिनांक 15.03.1957 पट्टा संख्या 38 द्वारा पारित ग्राम पंचायत लाटाड़ा जो वर्तमान शिवतलाव है, पंचायत समिति बाली जिला पाली किया गया है जिसके पड़ौसान् निम्न है:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 47/2023
उनवान : भंवरसिंह बनाम भरतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उत्तर में:– वाला खालसा

दक्षिण में:– वाला व नाडी गांव की।

पूर्व में:– आम रास्ता 50 फीट चौड़ा जंगल में जाने का सिर दरवाजा

पश्चिम में:– खालसा जमीन बेकार।

उपरोक्त पड़ौस के हदुदो के बीच उक्त मकान स्थित है, जो प्रार्थी के पिता सरदारसिंह की मृत्यु के बाद से प्रार्थी उपरोक्त मकान पर काबिज है। प्रार्थी के उत्तर दिशा में पट्टाशुदा मकान के पास प्रार्थी की पट्टाशुदा भूखण्ड पड़ा था, जिसका अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत शिवतलाव से मिलावट कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्रस्ताव संख्या 2(2) दिनांक 10.09.2009 मिसल संख्या 51/2001–02 व विक्रय विलेख पट्टा संख्या 36 बुक संख्या 34 जारी दिनांक 24.09.2009 द्वारा पारित ग्राम पंचायत शिवतलाव, पंचायत समिति बाली जिला पाली द्वारा जारी कर दिया गया है, जो विधि विरुद्ध व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किया गया है, इस कारण प्रार्थी के कब्जे के मकान का पट्टा विधि विरुद्ध जारी होने के कारण निम्न आधारों सहित निगरानी प्रस्तुत है:–

1. यह है कि पट्टा जैर निगरानी विधि तथ्य व रिकॉर्ड के विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।
2. यह कि पट्टा जिस परिसर का जारी किया गया है, इस परिसर में प्रार्थी का रहवास है तथा मकान प्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण करवाया हुआ है तथा प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है तथा पानी का कनेक्शन भी लिया हुआ है। प्रार्थी के पूर्व प्रार्थी का पिता इस मकान में निवास करता था तथा भरतसिंह गांव घासा उदयपुर में निवास करता है। इस कारण जो पट्टा भरतसिंह के पक्ष में जारी किया जाना बताया गया है, उक्त पट्टा विधि के विरुद्ध है तथा कब्जा रहित है।
3. यह कि पट्टा 200/– रुपये की फीस लेकर जारी किया गया है, इसके अनुसार अप्रार्थी का कब्जा होना भी साबित नहीं है तथा भरतसिंह व उसका परिवार कभी इस मकान में रहवास भी नही था। इस कारण से पट्टा प्रस्ताव व पट्टा आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है।
4. यह कि अब अप्रार्थी का इस भूखण्ड पर कब्जा नहीं होने के बावजुद भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 36 दिनांक 24.09.2009 को जारी किया गया था, तथा प्रस्ताव संख्या 2(2) दिनांक 10.09.2009 को लेकर पट्टा दिया गया था, जो विधि विरुद्ध व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जो पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 47/2023
उनवान : भंवरसिंह बनाम भरतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

योग्य है तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 से मिलावट कर उक्त पट्टा जारी करवाया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जो प्रार्थना पत्र विक्रय विलेख हासिल करने का पेश किया है, जिसमें बताये गये पड़ौसान मौके की भूमि से मेल नहीं खाते है, न ही प्रार्थना पत्र तारीख अंकित है तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने प्रार्थना पत्र में 60 वर्षों से काबिज होने की बात बतायी है जो गलत बतायी है, क्योकि अप्रार्थी की वर्तमान में उम्र मात्र 54 वर्ष है तथा प्रार्थी द्वारा कितना क्षेत्रफल है एवं कौन कौन सी भूजा कितनी है, इस बारें में कोई तथ्य अंकित नहीं किये है। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ने प्रार्थना पत्र को गलत एवं गैर कानूनी दर्ज किया है, क्योंकि नियम के मुताबिक आवेदन शुल्क व नक्शा व निरीक्षण शुल्क जमा नहीं करवाया है तथा ग्राम पंचायत की बैठक में नियम 146 (2) के तहत तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन नहीं किया गया है, न ही तीनों वार्ड पंचों की कमेटी ने नियमानुसार मौका रिपोर्ट पेश की है तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटीस एक माह का जारी किया है, उसमें भी किस तारीख को जारी किया है, ऐसी तारीख का आंकलन नहीं है तथा गवाहों के बयानों में गवाहों की उम्र मौके बाबत व कब्जे बाबत जानकारी के बिना बतायी व दर्ज करवायी है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नही है तथा दिनांक 09.10.2009 को प्रस्ताव संख्या 2(2) के अप्रार्थी संख्या 01 के हक में पट्टा जारी करने का निर्णय विधि विरुद्ध लिया गया है तथा उपरोक्त प्रस्ताव में भी प्रार्थी द्वारा कब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उस तारीख का आंकलन नही है, साथ ही प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं किया तथा मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई नाप चौक नहीं किया गया है, न ही ग्राम पंचायत ने मौके पर प्रार्थी का उपरोक्त मकान पर कब्जा होने के बावजुद भी उक्त सरपंच ग्राम पंचायत मोकमपुरा ने लोकसेवल होने के बावजुद भी उक्त सरपंच भी विधि विरुद्ध फर्जी विक्रय विलेख जारी किया है, जो काबिल खारिज है। प्रार्थी को उक्त कृत्य की जानकारी दिनांक 08.08.2023 को हुई, जब फर्जी पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 ने धमकी दी कि प्रार्थी को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने यह भी धमकी दी कि मैंने ग्राम पंचायत शिवतलाव से दिनांक 10.08.2023 को नकले प्राप्त की, जो अन्दर म्याद पेश की जा रही है जिसमें प्रथमदृष्टया सुनवाई किया जाना कानूनन व न्यायसंगत है।

6. यह कि प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत ने पूर्व में दिनांक 15.03.1957 को पट्टा संख्या 38 जारी कर दिया था, नियमानुसार ग्राम पंचायत पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर दुबारा पट्टा नहीं बना सकती है। पूर्व सरपंच का उक्त कृत्य पंचायत राज अधिनियम की धारा 38 के तहत दण्डनीय है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 47/2023
उनवान : भंवरसिंह बनाम भरतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

7. यह कि पंचायत जैन निगरानी आदेश व प्रस्ताव एवं जारी विक्रय विलेख पट्टा संख्या 36 की कार्यवाही विधि एवं तथ्य के विपरित मात्र कागजी कार्य होने से साक्ष्य के अभाव में प्रथमदृष्टया भी निरस्त योग्य है।
8. यह कि पंचायत जैर निगरानी आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों को किसी भी रुप में सुना नहीं गया, जिससे ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरित होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा भरतसिंह के पक्ष में प्रस्ताव संख्या 2(2) दिनांक 10.09.2009 मिसल संख्या 51/2001–02 व विक्रय विलेख पट्टा संख्या 36 बुक संख्या 34 जारी दिनांक 24.09.2009 द्वारा पारित ग्राम पंचायत शिवतलाव, पंचायत समिति बाली जिला पाली का पट्टा पारित किया गया है, इस पट्टे को प्रस्ताव को व पट्टे आदेश को व कार्यवाहियों को निरस्त फरमाया जावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. निगरानी याचिका के पद क्रमांक एक में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी को पट्टा विविधनुसार व रिकॉर्ड की स्थिति के अनुसार जारी किया गया है।
2. निगरानी याचिका के पद क्रमांक दो में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी सरासर गलत कथन कर रहा है। अप्रार्थी को जारी पट्टे के भूखण्ड पर अप्रार्थी का मकान बना हुआ है व अप्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को अच्छी तरह से है। प्रार्थी गलत तथ्य बताकर माननीय न्यायालय को गुमराह करना चाहता है। प्रार्थी के झूठे कथनों की पुष्टि प्रार्थी द्वारा वाद संख्या 47/2023 भरतसिंह विरुद्ध भंवरसिंह न्यायालय श्री वरिष्ठ सिविल न्यायालय बाली में प्रस्तुत जवाब से हो जाती है जिसमें प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी का दो मंजिला मकान होना स्वीकार किया व उक्त भाग पर अप्रार्थी का कब्जा होना भी स्वीकार किया व अप्रार्थी के नाम से पट्टा जारी होने की भी जानकारी पहले से होने के तथ्यों की भी पुष्टि होती है जिसमें एकदम स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष एकदम झूठे तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे है। उक्त वाद के साथ अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के स्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में बाद सुनकर बहस श्री वरिष्ठ सिविल न्यायालय बाली द्वारा मौके पर प्रार्थी का पट्टा शुदा मकान निर्मित होना मानकर प्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिस आदेश की प्रति प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

लेकर माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के समस्त तथ्यों को छिपाकर यह गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। सिविल न्यायालय में इसी विषय वस्तु को लेकर वाद विचाराधीन होने पर प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। मौके के फोटो से भी एकदम स्पष्ट हो जायेगा कि मौके पर अप्रार्थी का दो मंजिला मकान बना हुआ है। जिससे बिजली व पानी के बिल भी अप्रार्थी के नाम से है।

3. प्रार्थना पत्र के पद क्रमांक तीन में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। मौके पर अप्रार्थी का कब्जा रहा है व दो मंजिला मकान बना हुआ है। जो सिविल न्यायालय बाली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे से ही साबित है।
4. निगरानी याचिका के पद संख्या चार में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। मौके पर अप्रार्थी का कब्जा रहा है।
5. निगरानी याचिका के पद क्रमांक पांच में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी के पट्टे के पड़ौस मेल खा रहे है व अप्रार्थी का स्वयं व उसके पूर्व उनके पिता का कब्जा मौके पर चला आया है। पट्टा बिलकुल विधिनुसार समस्त कार्यवाही की जाकर किया गया है। प्रार्थी को अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी होने जानकारी दिनांक 08.08.2023 को होने के तथ्य स्वतः प्रार्थी द्वारा श्री सिविल न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावे से हो जाती है। प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थी को तंग करने के लिए यह झूठी निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी याचिका म्याद बाहर होने से निरस्त होने योग्य है।
6. निगरानी याचिका के पद संख्या सात, आठ में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। विधिवत आपत्ति पत्र जारी किया गया था।
7. निगरानी याचिका के पद संख्या नो, दस, ग्यारह में वर्णित तथ्यों के जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने विशेष कथन कर निवेदन किया कि:–

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्पष्ट रुप से म्याद बाहर है। प्रार्थी को सन् 2009 से ही उक्त पट्टे की जानकारी थी व है क्योंकि उक्त पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी का दो मंजिला मकान बना हुआ है। बिजली पानी के कनेक्शन लिये हुए है। अलावा इसके सन् 2021 में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद में भी व प्रार्थी द्वारा उक्त वाद में प्रस्तुत जवाब दावे में स्वयं के पट्टे की जानकारी होना स्वीकार किया है जिससे स्पष्ट रुप से प्रार्थी की निगरानी याचिका अवधि पार होने से निरस्त होने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 47/2023
उनवान : भंवरसिंह बनाम भरतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

योग्य है। प्रार्थी के द्वारा अवधि में छूट के लिए भी कोई प्रार्थना पत्र व शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भी प्रार्थी की निगरानी म्याद बाहर है।

2. प्रार्थी द्वारा अपने स्वीकृत तथ्यों के विपरित माननीय न्यायालय में झूठे कथन किये जा रहे है मौके पर अप्रार्थी का कब्जा व मकान बना होना स्वयं प्रार्थी के द्वारा उक्त सिविल वाद में स्वीकार किया गया है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका निरस्त की जावे।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत से तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 29.12.2005 को पारित अस्थायी निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसकी विधिक स्थिति एवं प्रभार पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी के पिता स्व. सरदारसिंह के नाम दिनांक 15.03.1959 को जारी पट्टा अस्तित्व में है तथा उक्त पट्टा आज दिनांक तक निरस्त अथवा समाप्त नहीं किया गया है। अतः पट्टाधारी के अधिकार विद्यमान है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस भूमि के संबंध में पूर्व से वैध पट्टा जारी था, उसी पट्टाशुदा भूखण्ड के एक भाग का पुनः पट्टा जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। प्रार्थी पक्ष ने यह भी इंगित किया कि प्रकरण में प्रस्तुत कथनों एवं बयानों में लगभग 60 वर्षों से कब्जा होना बताया गया है, जबकि संबंधित व्यक्ति की उस समय की आयु का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनकी आयु स्वयं 60 वर्ष के लगभग भी नहीं थी। अतः दीर्घकालीन कब्जे संबंधी कथन संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों का प्रतिकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तत्कालीन सरपंच द्वारा किया गया endoursment अभिलेख पर उपलब्ध है, जो प्रकरण के तथ्यों के समर्थन में महत्वपूर्ण है। यह भी तर्क दिया गया कि वास्तविक कब्जा पट्टाधारी का रहा है तथा याचिकाकर्ता द्वारा निगरानी याचिका में स्वयं का कब्जा दर्शाना तथ्यात्मक रुप से गलत है। अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि याचिकाकर्ता सिविल न्यायालय में लंबित वाद में प्रस्तुत अपने जवाब में अप्रार्थी के कब्जे को स्वीकार किया है, जिससे वर्तमान याचिका में वर्णित तथ्य स्वयं याचिकाकर्ता के पूर्व कथनों के विपरित है। अप्रार्थी पक्ष ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में पूर्व से वाद विचाराधीन है, किन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य को याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान निगरानी याचिका में प्रकट नहीं किया गया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 47/2023
उनवान : भंवरसिंह बनाम भरतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

है। अतः याचिकाकर्ता न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। यह भी बताया गया कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जा चुका है तथा उक्त सिविल वाद वर्तमान निगरानी याचिका से पूर्व संस्थित है। इसलिए विवाद का विषय पहले से ही सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी का दो मंजिला पक्का मकान निर्मित है, जिसके समर्थन में फोटोग्राफ अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए है, इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि सिविल वाद में प्रतिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं वर्तमान निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों के मध्य स्पष्ट विरोधाभाष है, जिससे याचिकाकर्ता के कथनों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अंततः यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत की रिपोर्ट दिनांक 09.09.2024 में भी विवादित भूमि पर अप्रार्थी के मकान का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, जो अप्रार्थी के कब्जे एवं निर्माण की पुष्टि करता है।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किए:—

1. 1028 2020 (4) DNJ (Raj)

अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया।

प्रकरण की संक्षिप्त विषयवस्तु इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा अप्रार्थी भरतसिंह के पक्ष में ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा ज़रिए प्रस्ताव संख्या 2 (2) दिनांक 10.09.2009 के भूमि विक्रय विलेख संख्या 36 दिनांक 24.09.2009 को निष्पादित किया गया, जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पुश्तैनी गृहों के विनियमितिकरण के रुप में जारी किया गया। याचिकाकर्ता श्री भंवरसिंह द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित पूर्वोक्त पट्टा विलेख को प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति दी है कि विवादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी का कब्जा न होकर सम्पूर्ण परिसर प्रार्थी/याची के कब्जाधीन है तथा विवादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थी के पिता स्व. सरदारसिंह के पट्टाशुदा भूखण्ड का ही एक भाग है, जिसका पूर्व में दिनांक 15.03.1959 को ग्राम पंचायत लाटाडा द्वारा पट्टा विलेख संख्या 38 जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने आलोच्य पट्टा विलेख को प्रक्रियात्मक एवं वैधानिक त्रुटियों के आधार पर भी आक्षेपित किया है, जिनका निगरानी याचिका में पदवार विवरण अंकित है। अप्रार्थी श्री भंवरसिंह ने याचिका में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए यह पक्ष प्रस्तुत किया कि ज़ैर निगरानी विवादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उभयपक्षकारों के मध्य

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 47/2023
उनवान : भंवरसिंह बनाम भरतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बाली में सिविलवाद प्रकरण संख्या 31/2021 लम्बित है,जिस सिविल वाद में याचिकाकर्ता द्वारा बतौर प्रतिवादी प्रस्तुत जवाब पत्र में इस भूखण्ड पर अप्रार्थी (वादी) का रहवासी कब्जा स्वीकार किया है। अप्रार्थीपक्ष ने अपने जवाबपत्र एवं वक्त् बहस प्रस्तुत दलीलों में यह भी जाहिर किया कि याचिकाकर्ता द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किये गए जवाबपत्र तथा हस्तगत निगरानी याचिका में अंकित किए गए कथनों में विरोधाभाष है तथा याची द्वारा सिविल वाद लम्बित होने जैसे कई तथ्यों को इस न्यायालय से छिपाकर निगरानी प्रस्तुत की है अर्थात् याचिकाकर्ता स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय में नहीं आए है।

प्रार्थी द्वारा ज़ैर निगरानी भूखण्ड को उनके पिता स्व. सरदारसिंह के पट्टा विलेख संख्या 38 दिनांक 15.03.1959 के भूखण्ड का ही भाग होना याचिका में अंकित अवश्य किया है, किन्तु प्रार्थी ने उक्त पूर्व पट्टा दिनांक 15.03.1959 की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है एवं अप्रमाणित फाटोप्रति न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य के रुप में पठनीय नहीं है।

साथ ही, पत्रावली में उभयपक्षकारों द्वरा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से यह निर्विवाद तथ्य उभरकर सामने आता है कि जैर निगरानी विवादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के मध्य न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बाली में सिविल वाद प्रकरण संख्या 31/2021 बाबत आदेशात्मक व सर्वकालिक निषेधाज्ञा लम्बित है। उक्त सिविल न्यायालय द्वारा सिविल विविध प्रकरण संख्या 23/2022 में अप्रार्थी के पक्ष में तथा प्रार्थी श्री भंवरसिंह के विरुद्ध दिनांक 12.07.2023 को अस्थायी निषेधाज्ञा भी पारित की गई है। उक्त सिविल वाद प्रकरण संख्या 31/2021 में प्रार्थी (प्रतिवादी) श्री भंवरसिंह ने अपने जवाबपत्र के पद संख्या चार व पांच में अप्रार्थी (वादी) का मकान अर्थात रहवासी कब्जा होना स्वीकार किया है जबकि विचाराधीन निगरानी याचिका के पद संख्या दो में प्रार्थी ने इस भूखण्ड को स्वयं के कब्जाधीन होना बताया है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी के सिविलवाद में पेश जवाबपत्र के पद संख्या पांच में स्वयं के मकान का एक पट्टा विलेख संख्या दो दिनांक 10.08.1989 (मिसल संख्या 131/82–83) निष्पादित होन का अंकन किया है, जबकि हस्तगत निगरानी याचिका में प्रार्थी ने अपने इस उत्तरोतर निष्पादित पट्टा विलेख संख्या दो का कहीं कोई अंकन नहीं किया है। पूर्वोक्त वर्णित सिविलवाद मूलतः दोनों पक्षों के मकानों के बीच स्थित गली के विवाद से सम्बन्धित है तथा उक्त सिविलवाद की कार्यवाही यह निगरानी याचिका प्रस्तुत होने से पूर्व ही संस्थित हो गई थी, किन्तु प्रार्थी ने उपरोक्त समस्त तथ्य इस निगरानी याचिका में अंकित नहीं किए है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 47/2023
उनवान : भंवरसिंह बनाम भरतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि न्यायालय हाजा द्वारा इस प्रकरण के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली से भौतिक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसकी अनुपालना में विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक 1434 दिनांक 09.09.2024 में यह अंकित है किः–

"ग्राम विकास अधिकारी शिवतलाव की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री भंवरसिंह एवं अप्रार्थी भरतसिंह के पिता दोनो भाई है। प्रार्थी भंवरसिंह के पिताजी श्री सरदारसिंह पुत्र मेघाजी के नाम सन् 1959 में पट्टा जारी किया हुआ है। अप्रार्थी के पिताजी जयरुपसिंह पुत्र मेघाजी है। सन् 1959 में बने पट्टे का मेघाजी के पुत्रों ने आपस में बंटवारा कर रास्ते गली छोडकर मकान बना दिये गये है। मौके पर बने मकानों को नजरी नक्शे में बिन्दु संख्या (2) में दर्शाया गये नजरी नक्शें में मौके पर बसावट के अनुसार दर्शाया गया है अप्रार्थी भरतसिंह पुत्र जयरुपसिंह व प्रार्थी भंवरसिंह पुत्र सरदारसिंह के बीच 5 फीट चौडी गली स्थित है जो वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो के दरवाजे गली में खुले हुए है। पूर्व में जारी पट्टे की भूमि का आपसी बंटवारा होने के बाद अप्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे है तथा इस भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा 24.09.2009 को पट्टा अपने नाम से पट्टा जारी करवा दिया गया है। जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु संख्या (1) में दर्शाया गया है।"

विकास अधिकारी बाली द्वारा प्रस्तुत उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थी के पिता स्व. सरदारसिंह के पट्टाशुदा भूखण्ड का एक भाग है एवं उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड स्व. सरदारसिंह के भाईयों के मध्य आपस में बंटवारा कर मकान निर्मित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता सगे भाई थे तथा अप्रार्थी का मकान भी इसी वृहद भूखण्ड के एक भाग में अर्थात् प्रार्थी के मकान की उत्तर दिशा में 05 फीट गली छोड़कर निर्मित है। उक्त जांच रिपोर्ट से प्रार्थी के इस आक्षेप की प्रथमदृष्टया पुष्टि अवश्य होती है कि उनके पिता स्व. सरदारसिंह के पट्टाशुदा भूखण्ड के एक भाग का पुनः अप्रार्थी को ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख जारी किया गया है, किन्तु सिविलवाद प्रकरण संख्या 31/2021 में प्रस्तुत जवाबदावे के पद संख्या पांच में प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी को भी इसी वृहद भूखण्ड के एक भाग पर निर्मित स्वयं के मकान का पट्टा विलेख संख्या 02 दिनांक 10.08.1989 (मिसल संख्या 131/82) जारी किया गया है। यदि पट्टे पर पट्टा जारी करने की कार्यवाही से अप्रार्थी श्री भरतसिंह का ज़ैर निगरानी पट्टा बाधित होने का आक्षेप स्वीकार किया जाए, तो उक्त तो उक्त वैधानिक बाधा प्रार्थी के पक्ष में ऐसे ही निष्पादित उक्त पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.08.1989 पर भी समान रुप से लागु होती है। किन्तु प्रार्थी श्री भंवरसिंह द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित उक्त वाद के पट्टा विलेख दिनांक 10.08.1989 का तथ्य इस न्यायालय से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

छिपाया गया है। साथ ही, मौके पर मूल विवाद गली से सम्बन्धित होना, स्व. सरदारसिंह के पट्टाशुदा वृहद भूखण्ड का उनके भाईयों के मध्य बंटवारा होकर पृथक पृथक मकान निर्मित होना जैसे अन्य तथ्य भी प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी याचिका में उजागर नहीं किये है अथवा जानकारी होते हुए भी उपरोक्त तथ्यों को सप्रयास Conceal करने का प्रयास किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय को अप्रोच नहीं किया है। उपरोक्त अंकित समस्त तथ्य साक्ष्य सुनवाई, जिरह इत्यादि उपरान्त सिविल न्यायालय द्वारा तय किये जाने है, जिसके उपरान्त ही आलोच्य प्रस्ताव एवं पट्टा विलेख की वैधता का अभिनिर्धारण किया जाना न्यायोचित होगा।

यह अंकित करना महत्वपूर्ण है कि उभयपक्षकारों के मध्य लम्बित सिविल वाद प्रकरण संख्या 31/2021 में इसी भूखण्ड एवं ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित विषयवस्तु समाविष्ट है एवं उक्त सिविलवाद के अन्तिम निस्तारण से पूर्व आलोच्य पट्टा विलेख की वैधता अथवा अवैधानिकता के सम्बन्ध में इस न्यायालय से कोई अन्तिम निर्णय पारित करना माननीय सिविल न्यायालय में लम्बित वाद कार्यवाही के न्यायपूर्ण निस्तारण को प्रभावित करेगा। चूंकि उक्त सिविल वाद कार्यवाही हस्तगत निगरानी याचिका संस्थित होने से भी पहले लम्बित है, अतः उक्त सिविलवाद के अन्तिम निस्तारण से पूर्व इसी विषयवस्तु पर कोई निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं है।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 इस स्तर पर खारिज की जाती है। उभयपक्षकार सिविलवाद प्रकरण संख्या 31/2021 के अन्तिम निस्तारण उपरान्त माफ़िक निर्णय पुनः निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को पुनः लौटाया जाए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली